

ऑन लाईन नं. RCMS2018/00159

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 63/2018



श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
ब्लाम

- वेदप्रकाश पुत्र मुलखराज खत्री निवासी मकान नम्बर 10, गली नम्बर 7, वार्ड नम्बर 18 श्रीगंगानगर
मै० बालाजी कोल्डड्रिंक्स, वार्ड नं.18 मेन रोड, भांभू कॉलोनी, गली नम्बर 04, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(2)/51/52 एवं 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 12.09.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यलय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2018 को दोपहर बाद 1.00 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म मै० बालाजी कोल्डड्रिंक्स, वार्ड नं.18 मेन रोड, भांभू कॉलोनी, गली नम्बर 04, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां पर वेदप्रकाश पुत्र मुलखराज खत्री निवासी मकान नम्बर 10, गली नम्बर 7, वार्ड नम्बर 18 श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर वेदप्रकाश पुत्र मुलखराज खत्री खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै० बालाजी



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कोल्डड्रिंक्स के गोदाम में कोल्डड्रिंक्स की खाली बोतलें भरकर सील करने की मशीन, कुछ बांडेड पेय पदार्थों के अलावा मै0 बालाजी कोल्डड्रिंक्स द्वारा निर्मित पेय पदार्थ युक्त 240 सीलड प्लास्टिक बोतलें, प्रत्येक बोतल में 300 मिलिलिटर पेय पदार्थ **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** भरकर गत्ते के कार्टनों में आम जन के विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें से 40 नग सीलड बोतलें **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** जांच के लिए खरीद की, **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** की कीमत 280/-रु (अखरे रूपये दौ सौ अस्सी मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री सतीश अरोडा के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता श्री वेदप्रकाश एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** की 40 सीलड बोतलो को 10-10 के चार समूल बनाकर चार नमूना भाग बनाए एवं उन पर लेबल चिपकाये । लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-906 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा शेष बचे पेय पदार्थ **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** की 200 सीलड बोतलों को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार जब्त कर नमूना विक्रता की सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया गया तथा पूरे गोदाम को सीज कर दिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/950/एक्ट/2018/1048 दिनांक 27.06.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-906 **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** अमानक स्तर SUBSTANDARD & MISBRANDED होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त वेदप्रकाश पुत्र मुलखराज खत्री



जयपुर जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निवासी मकान नम्बर 10, गली नम्बर 7, वार्ड नम्बर 18 श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51/52 एवं 31(2)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार SUBSTANDARD & MISBRANDED पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** का सैम्पल के-906 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/ 950/एक्ट/2018/1048 दिनांक 27.06.2018 द्वारा SUBSTANDARD & MISBRANDED होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51/52 एवं 31(2)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार SUBSTANDARD & MISBRANDED पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त वेदप्रकाश पर SUBSTANDARD & MISBRANDED **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51/52 एवं 31(2)/58 के तहत शास्त्रि 12000/-रुपये (अखरे रुपये बारह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Sweetened Carbonated Beverage (Super Drinks)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



12/9/18
(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर